



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre  
सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर / Bidhan Nagar,  
कोलकाता / Kolkata-700064

सं/No.वीईसीसी/VECC/सीएचएसएस/CHSS/2023/ 788

मई / May 2, 2023

03

पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय : सीएचएसएस नियम, 1998 के खंड संख्या 2.1.7 (ए) और खंड  
संख्या 2.1.10 (iii) के परिशिष्ट के संबंध में।

Sub : Addendum to clause no.2.1.7 (a) & clause  
no.2.1.10 (iii) of CHSS Rules, 1998-reg.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 28.04.2023 के परिशिष्ट संख्या  
7/14/2022/IR&W/Vol.II/5635 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of Addendum No.7/14/2022/IR&W/Vol.II/5635 dated 28.04.2023 on the  
above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance  
please.

*V.S.N.V.R. Krishna Kanth*

02/05/2023  
(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त /

V.S.N.V.R. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस) /

Asstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि

Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।  
**All CHSS beneficiaries of VECC - through Notice Boards & VECC Website.**

Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता /  
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख /  
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163 / Administrative Officer,  
RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.

7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail:

irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.क्र.: 7/14/2022/IR&W/Vol.II/5635

अप्रैल 28, 2023

### परिशिष्ट ADDENDUM

सीएचएसएसनियम, 1998 की खंड संख्या 2.1.7 (ए) और खंड संख्या 2.1.10 (iii) के तहत मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में, मृत्यु/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में सीएचएसएस सुविधाओं की बहाली की अनुमति है।

With reference to the existing provisions under clause no.2.1.7(a) & clause no. 2.1.10 (iii) of CHSS Rules, 1998, restoration of CHSS facilities in the event of Death/Voluntary Retirement are permitted.

2. आवेदन की तिथि को कल्पित वेतन के आधार पर अंशदान के भुगतान पर एक अंतराल के बाद सीएचएसएस सुविधा की बहाली की अनुमति देना जैसा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में किया गया है, अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ है।

Reference has been received in the Department, permitting for restoration of CHSS facility after a gap as done in the case of retired employees, on payment of subscription based on notional pay on the date of application.

3. विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, अब खंड 2.1.7 (सी) और 2.1.10 (iii) के तहत एक वाक्य निम्नवत के अनुसार जोड़ने का निर्णय लिया गया है:

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided to **add** clause 2.1.7(c) and a sentence under 2.1.10 (iii) as given below:

- a) खंड 2.1.7(सी) - मृत्यु के बाद किसी भी समय योजना में शामिल होने का विकल्प कर्मचारियों के परिवार के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते जीवन पर्यंत पंजीकरण के लिए यथा दर्शाए अनुसार एक बार अंशदान का भुगतान करना होगा अथवा मृत्यु की तारीख से अंशदान के बकाए का भुगतान करना होगा।" ।

*"Clause 2.1.7(c) –The option to join the Scheme any time after the death will be available to the family of the employees subject to the payment of one time contribution for life long registration as indicated or arrears of contribution from the date of death."*

- b) खंड 2.1.10(iii) "जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी समय योजना में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध होगा बशर्ते जीवन पर्यंत पंजीकरण के लिए यथा दर्शाए अनुसार एक बार अंशदान का भुगतान करना होगा अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख से अंशदान के बकाए का भुगतान करना होगा।"

*Clause 2.1.10(iii) – "Employees who are retiring voluntarily has the option to join the Scheme any time after the retirement subject to the payment of one time contribution for life long registration as indicated or arrears of contribution from the date of retirement."*

4. यह परिशिष्ट जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

This addendum will be effective from the date of issue.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

अजीता थरियन  
28/04/2023  
(अजीता थरियन AjithaThariyan)

अवरसचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख  
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to :

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A). DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan